

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्या:- 114/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/285)

1. पवन कुमार बापलायत पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, जाति झरियाणा ब्राह्मण, आयु 38 वर्ष, निवासी ग्राम भानगढ तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्त

बनाम

1. जिला कलेक्टर, अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट

उपस्थिति:-

1. श्री ध्रुवसिंह बगडिया एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.03.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 18.08.2021 को प्रसारित की गई कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 260 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार भू आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों के तहत राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा भूमि आवंटन करने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुसरण में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने हेतु आगे की कार्यवाही उपखंड अधिकारी राजगढ के द्वारा अमल में लाई गई तथा नियमानुसार प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 तहत आयोजित किए जाने वाले ग्राम शिविरों की सूची नियमानुसार विधायक महोदय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच को सूचना प्रेषित की गई तथा आवंटित की जाने वाली भूमि की सूची संबंधित पटवारी, पटवार हल्का के द्वारा तैयार की गई तथा जरिए नोटिस कर सूचना पट्ट पर चस्पा कर, व्हाट्सएप के जरिए आवंटन हेतु जनहित की जानकारी में लाया गया, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी को आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ शिविर प्रभारी के द्वारा सूचित किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचना दिनांक 18.08.2021 के अनुसरण में शिविर आयोजित किए गए। शिविर में उपस्थित रहने हेतु संबंधित अधिकारियों को एवं जनप्रतिनिधियों को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O

(2)

सूचित किया गया, सूचना के मुताबिक शिविर में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित आए। भूमि आवंटन शिविर में अपीलार्थी के द्वारा हाल खसरा नम्बर 2043/11.47 हैक्टर में से कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटन करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के आवेदन पर आवंटन सलाहकार समिति ने हल्का पटवारी की पुराने कब्जे की रिपोर्ट देखने के पश्चात् अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन करने की सिफारिश की एवं आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के पश्चात् उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा दिनांक 04.03.2022 को आवंटन पत्र क्रमांक: एल.आर/आवंटन/ 2021-22/5057 राजकीय पड़त भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी के पक्ष में खसरा नम्बर 2043/11.47 हैक्टर में से 1.25 हैक्टर भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि आवंटन के पश्चात् अपीलार्थी को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित किया गया जिसके अंतर्गत 10 दिवस में जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया तथा नोटिस के साथ सूची प्रेषित की गई कि आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा निम्न अनियमितताएं की गई है। अपीलार्थी के द्वारा नोटिस दिनांक 03.02.2023 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि पर सम्वत् 30 वर्षों से अपीलार्थी का कब्जा में है जिस पर अपीलार्थी द्वारा लगातार फसल काश्त की जा रही है। इसमें रबी एवं खरीफ की फसल बोई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती रही है किन्तु अपीलार्थी के तथ्यों पर बिना गौर किये ही एवं अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होने का अधिकार नहीं देकर एवं न्यायिक प्रक्रिया एवं विधि के प्रावधानों की बिना पालना किये ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 के द्वारा उपखंड अधिकारी राजगढ़ पारित आवंटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को अपास्त कर दिया गया जो आदेश विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 03.02.2023 को जिला कलेक्टर कार्यालय से नोटिस जारी किए गए हैं जबकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 जिला कलेक्टर अलवर के द्वारा न्यायालय की हैसियत से पारित किया गया है, जो विधिक त्रुटि में आता है एवं नियम विरुद्ध है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी को आवंटित भूमि पर अपीलार्थी के पिता का 30 वर्षों एवं उससे पूर्व से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, अपीलान्त का परिवार बहुत ही गरीब है, कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है इसलिये सिर्फ खेती पर ही निर्भर है तथा अपीलार्थी ने किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं किया है और ना ही भू आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया, राजस्थान सरकार राजस्व गुप-6 द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.09.2001 के तहत भू आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में यह संशोधन किया गया है कि किसी भी अतिचारी को भूमि से बेदखल करने के बजाय उसे ऐसी भूमि आवंटित की जा सकेगी जो भू आवंटन नियम

P.T.O


अधिवक्ता अपीलान्त
अलवर

(3)

1970 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में नहीं आती हो तथा आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी प्रपत्र एवं आदेशों में दिये गये दिशा निर्देशों के तहत ही भूमि आवंटित की है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बगैर आवंटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को अपास्त किया है जो विधि विरुद्ध होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि आवंटित भूमि सरिस्का वन क्षेत्र की पैरीफेरी में नहीं आती है इसलिये वन विभाग का आवंटित भूमि के खसरा नम्बर से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है अपीलार्थी का प्रकरण नियमितीकरण की श्रेणी में आता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही एवं वास्तविकता की बिना कोई जाँच किये ही केवल शिकायत के आधार पर फौरी तौर पर की गई जांच को आधार मानकर, एवं दुराशय की भावना से आवंटन आदेश निरस्त किया गया जो निर्णय विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलार्थी को आवंटित की गई भूमि कृषि भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आती है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार द्वारा पारित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय से बाधित नहीं है बल्कि अपीलान्त का प्रकरण नियमन की श्रेणी में आता है जो राजस्थान सरकार द्वारा लम्बे अरसे से चले आ रहे कब्जे के आधार पर भू आवंटन नियम 1970 के तहत एवं राजस्थान सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों एवं नियमों के अनुसरण में विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में नियमन किया जाकर आवंटन पत्र जारी किया गया है जो विधि सम्मत है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 को अपास्त किया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का आवंटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को बहाल किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जाँच किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा एक जिला स्तरीय जाँच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जाँच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने विस्तृत जाँच की जाकर जाँच रिपोर्ट में आवंटन में अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। उन्होने यह भी कथन किया है कि आवंटी का निवास स्थान भानगढ़ ग्राम पंचायत गोला का बास अंकित किया गया है जबकि आवंटित आराजी वाके ग्राम बिरकडी ग्राम पंचायत बिरकडी में स्थित है एवं

विधिक प्रक्रिया
जोधपुर

P.T.O

(5)

आदेश दिनांक 20.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ० प्रवीण कुमार)

अति-सभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति-सभागीय आयुक्त,
जयपुर।